न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरनसर

निर्णय

मिसल न. :– 05 / 2019 दिनांक 04-12-19

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मनोहरिया ने रिपोर्ट (पी – 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2076 में गैर सायल शाकर खाँ पुत्र श्री सरदु खाँ जाति मुसलमान साकिन मनोहरिया ने ग्राम मनोहरिया के ख.न. 482 रकबा ~~102.44~~ 2.53 में नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। सम्बन्धित अप्रार्थी को राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामील शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल शाकर खाँ पुत्र श्री सरदु खाँ जाति मुसलमान साकिन मनोहरिया को ग्राम मनोहरिया के ख.न. 482 रकबा ~~102.44~~ 2.53 में अतिचार करने पर राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू. राजस्व दर 1=00 का 50 गुणा रुपये 127=00 शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली व कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने के आदेश दिए जाते हैं।

फसल नीलामी व बेदखली बावत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बावत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत् टी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-12-19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल होवें तथा रजिस्टर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2020.06.24 11:44:58 IST
Reason: SelfAttested